भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

03CC 328476

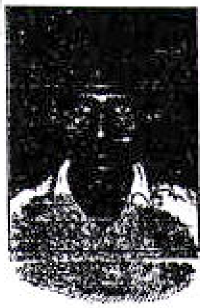

## विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 7,10,622/-
बाजारू मूल्य : रू0 4,16,350/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 71,100/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख घनश्याम पुत्र राम औतार [redacted] व संजय नाबालिग दत्तक पुत्र किशुन निवासी–छोटी घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला

दिनांक 12-1-05

मूल्य 7000

नाम रामजी लाल

०० 7,10,622/-

5000 + 30 = 5030/-

घनश्याम पुत्र रामजीलाल

निवासी छोटे सुम्बल बिजनौर

ने यह लेखपत्र ... उप निबन्धक, लखनऊ

के आज दिनांक 12/1/05 ... समय

प्रस्तुत किया ... अंगुष्ठ चिन्ह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

12/1/05

... विक्रेता ...

... पूरन कुमार

... स्वीकार किया

घनश्याम उपरोक्त एवं संजय दत्त पुत्र मिठ्ठन निवासी उपरोक्त एवं विनय पुत्र रामसौदवल पुत्र देवता निवासी लखनऊ

उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

03CC 328477



लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् राम सांवले पुत्र देवता, स्थायी निवासी–निधि दुबे का पुरवा, पोस्ट–मलिकमऊ चौबारा, जिला–रायबरेली, वर्तमान निवासी– 254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं0 121 रकबा 0.200 हेक्टेअर, खसरा नं0 123 रकबा 0.126 हेक्टेअर, खसरा नं0 262 रकबा 0.431 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.757 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.3785 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुजफ्फनगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व

दिनांक 12.5.05
मूल्य 2000
क्रमांक

प्रस्तुत कर्ता श्री सुनील कुमार सिंह

12.5.05

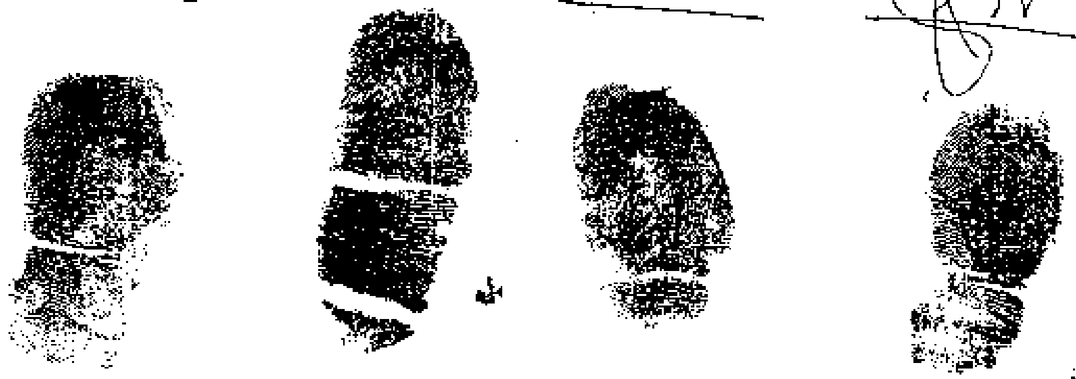

12.5.05

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

03CC 328478



काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 160 के अनुसार आदेश दिनांक 31.12.2004 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, काकोरी, वाद संख्या 187/140, के अनुसार किशुन पुत्र राम आतौर का नाम उक्त भूमि से निरस्त कर पंजीकृत गोदनामा प्राप्तकर्ता संजय नाबालिग दत्तक पुत्र किशुन के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि में विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपनी कुल भूमि क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05AA 684609



व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवीं या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 7,10,622/– (सात लाख दस हजार छः सौ बाईस रूपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
-7 JAN 2005
स. को. अ / कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ



विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन

बाधा नही डाल सकेंगे एवं न हीं कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3785 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,16,350/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 71,100/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रो लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा नं0 121 रकबा 0.200 हेक्टेअर, खसरा नं0 123 रकबा 0.126 हेक्टेअर, खसरा नं0 262 रकबा 0.431 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.757 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.3785 हेक्टेअर

स्थित ग्राम मुजफ्फनगर घुसवल, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

*खसरा नं0 121 रकबा 0.200 हेक्टेअर*

पूरब : खसरा संख्या–123

पश्चिम: खसरा संख्या–117, 119

उत्तर : खसरा संख्या–137, 138

दक्षिण : खसरा संख्या–120

*खसरा नं0 123 रकबा 0.126 हेक्टेअर*

पूरब : खसरा संख्या–135, 136

पश्चिम: खसरा संख्या–121

उत्तर : खसरा संख्या–137

दक्षिण : खसरा संख्या–124

*खसरा नं0 262 रकबा 0.431 हेक्टेअर*

पूरब : खसरा संख्या–278

पश्चिम: खसरा संख्या–258

उत्तर : खसरा संख्या–263

दक्षिण : खसरा संख्या–261

## परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 7,10,622/– (सात लाख दस हजार छः सौ बाईस रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मनकी दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

नोट: पेज 1 की सतर एक मे 'आठ' के बाद व सतर दो मे 'व' रुपया' के पहले के शब्द पेन से कटे हैं।

लखनऊ

दिनांक: 12.01.2005

गवाह

1\. [signature]
288 ...

विक्रेता

2\. रवीन्द्र कुमार

क्रेता

टाईपकर्ता
(अभय शाह)

मसविदाकर्ता
(अनुज शुक्ला)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील व जिला [illegible]

खसरा संख्या- 121, 123, 262 [illegible]

रकबा - 0.3785 हेक्टेयर

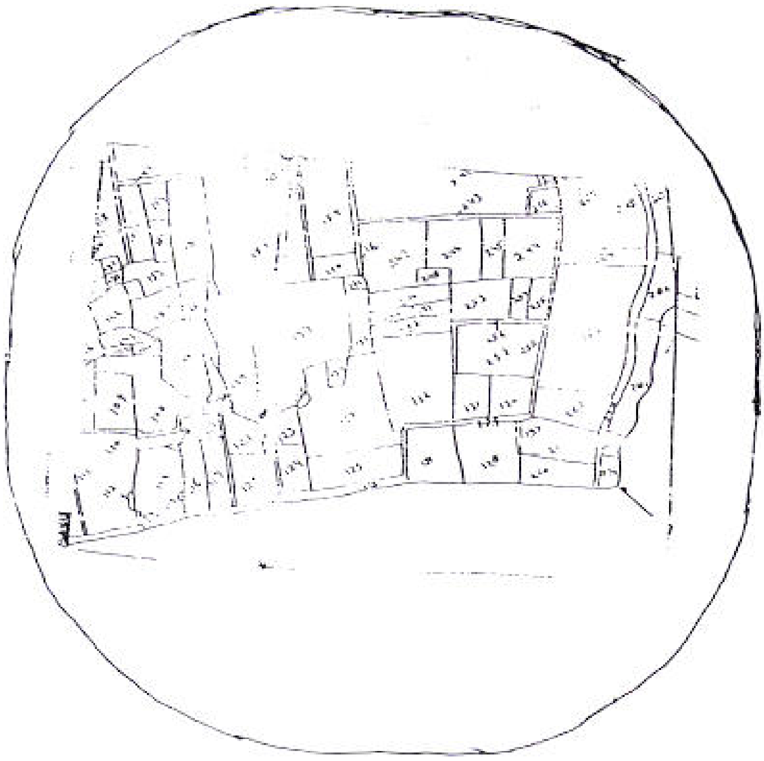

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

## रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,

## फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ..........

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

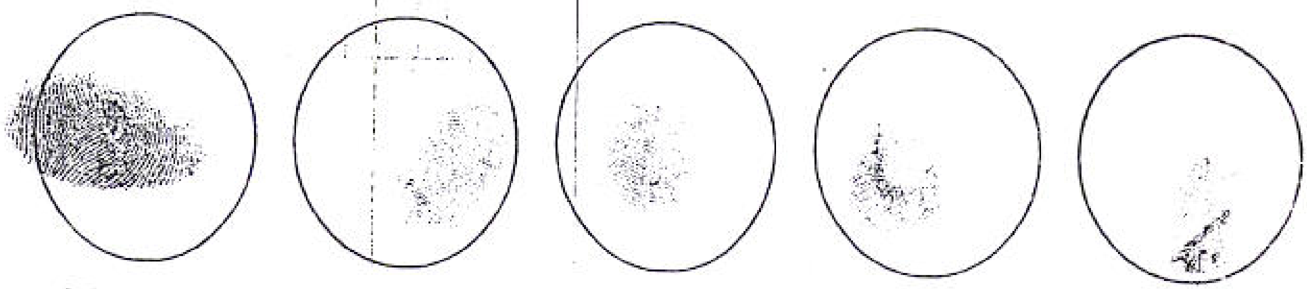

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

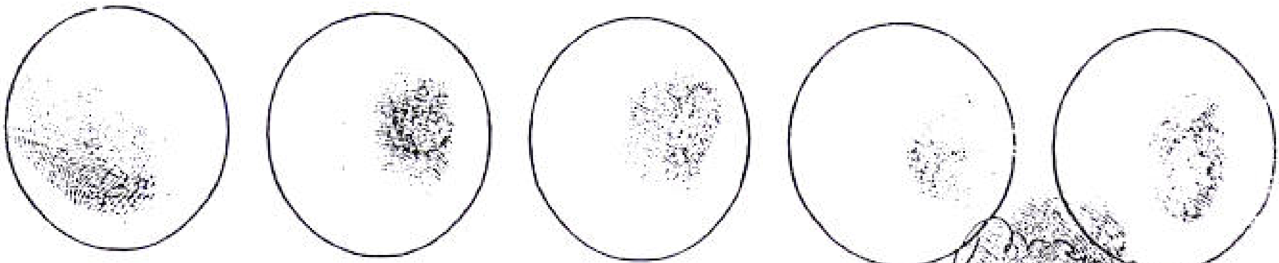

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / ~~क्रेता~~ के हस्ताक्षर

विक्रेता / ~~क्रेता~~ नाम व पता :- ..........

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

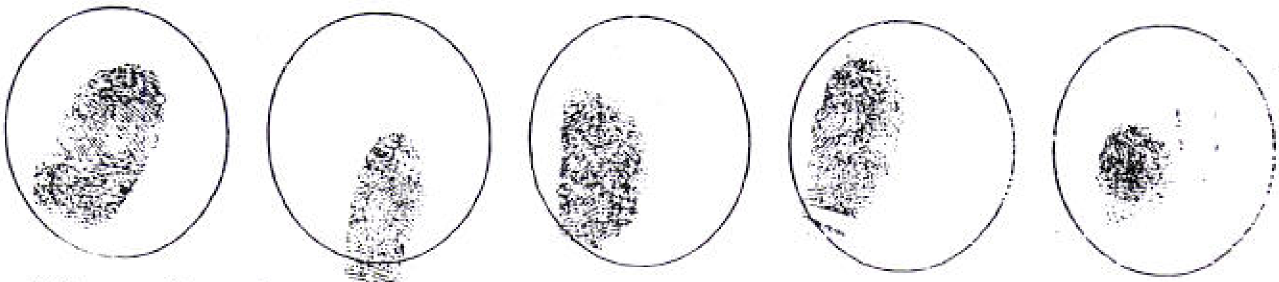

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

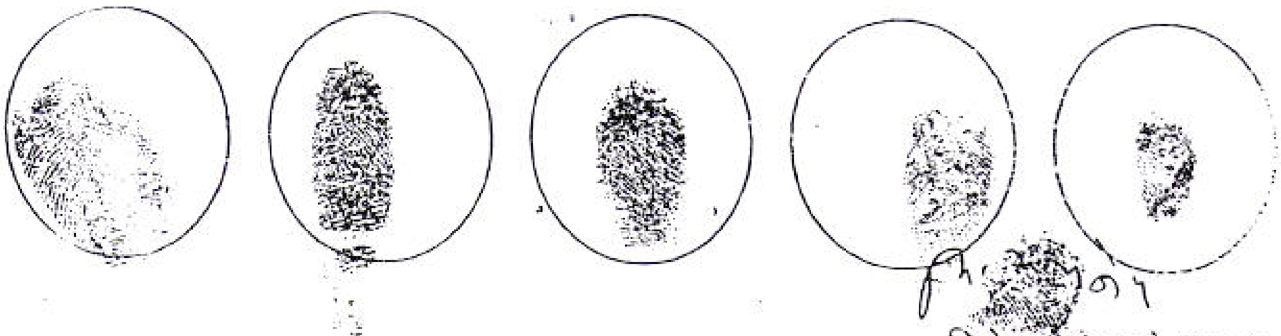

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

# रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा–32 ए० के अनुपालन हेतु,

## फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– ........................................

........................................

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– ........................................

........................................

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

12/1/05

6651

265/श्री

277

उप निबन्धक

लखनऊ